इडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 7 अंक सं. : 4 नवम्बर 2014

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

इस अंक में

मुख्य घटनाएं / बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां ----------2
बैंकिंग ागत की घटनाएं ----------3
विनियामकों के कथन ----------8
अर्थव्यवस्था ---------- ----------10
बीमा / ----------10
विदेशी मुद्रा ----------11
उत्पाद एवं गठजोड ----------12
नयी नियुक्तियां ----------13
बासेल -III - पूंजी विनियमन----------13
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- ----------14
शब्दावली ----------15
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ----------15
संस्थान समाचार----------15
बाज़ार की खबरें ----------18

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

डॉ. जीन टिरोले ने अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार जीता

फ्रांसीसी अर्थशास्त्री डॉ. जीन टिरोले ने बाज़ार की शक्ति और नैसर्गिक एकाधिकार एव अल्पाधिकार के विनियमन (Market Power and regulation of natural monopolies and oligopoly) के उनके विश्लेषण हेतु 2014 का नोबल पुरस्कार ीत लिया है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों की मंदड़िया बिक्री के मानदंड शिथिल किए

सरकारी प्रतिभूति (G-secs) बाज़ार विकसित करने और चलनिधि बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के लिए प्रतिभूतियों के व्यापार (trades) में कई प्रकार के उपायों, यथा- परिपक्वता तक धा रत (HTM) श्रेणी के तहत प्रतिभूतियों तथा गौण बाज़ार के काउंटर पर किए जाने वाले लेनदेनों (OTC) के ि लए "टी +2" निपटानों से सम्बन्धित उच्चतम सीमा को क्रमिक रूप से कम करने की घोषणा की है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) प्रतिभूतियों पर उच्चतम सीमा को 10 जनवरी, 2015 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 24% से चरणबद्धि रीति से घटाकर 19 सितम्बर, 2015 से आरंभ होने वाले पखवाड़े तक 22% करेगा।

अपने ग्राहक को जानिए मानदंड सरलीकृत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लोगों को उनके बैंक खाते खोलने और आवधिक आधार पर उन्हें अद्यतन कराने में होने वाली कठिनाइयों को आसान करने के उद्देश्य से "अपने ग्राहक को जानिए (KYC)" मानदंडों को तात्कालिक प्रभाव से और सरल बना दिया है। तदनुसार, बैंक आवधिक अद्यतन करते समय ग्राहक की वास्तविक

उपस्थिति पर बल नहीं देंगे। वे "कम जोखिम" वाले ग्राहकों के मामले में उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन न होने की दशा में पहचान और पते के नये प्रमाण की भी मांग नहीं करेंगे। बैंक स्वप्रमाणन की अनुमति देंगे तथा दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रतियां मेल / डाक द्वारा स्वीकार करेंगे। इसके अलावा, वे अपने ग्राहक को जानिए अनुपालक किसी मौजूदा ग्राहक के बैंक में एक अन्य खाता खोलने के इच्छुक होने पर नये दस्तावेज़ों की मांग नहीं करेंगे।

चलनिधि मानदंडों को पूरा करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी बॉण्डों का हिस्सा बढ़ाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल-III सम्बन्धी चलनिधि मानदंडों को पूरा करने में बैंकों की सहायता करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध (Liquid) आस्तियों (HQLA) की पात्र बनने के लिए उनके द्वारा धारित सरकारी बॉण्डों के घटक में 5% की एक और वृद्धि कर दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून में बैंकों को सरकारी प्र तिभूतियों को चलनिधि अनुपात के अधीन स्तर-1 वाली उच्च गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध आस्तियों (HQLA) के रूप में माने जाने की अनुमति देते हुए चलनिधि व्याप्ति अनुपात के बारे में ऐसे मानदंड जारी किए थे। अब, बैंकों को चलनिधि व्याप्ति अनुपात को पूरा करने हेतु उनके द्वारा रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों के निवल मांग एवं सावधि देयताओं के एक अन्य 5% तक के अंश को अनिवार्य सांविधिक चलनिधि अनुपात (LCR) की अपेक्षाओं के भीतर स्तर-1 उच्च गुणवत्ता वाली अनिरुद्ध आस्तियों (HQLA) के रूप में शामिल करने की अनुम ति होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अशोध्य ऋणों की रिपोर्टिंग के नियम संशोधित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अशोध्य ऋणों की रिपोर्टिंग और ऋणदाताओं के संयुक्त मंच (JLF) की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में नये दिशानिर्देश जारी किए हैं। बैंकों को उनके विशेष उल्लेख वाले खातों (SMA)-2 और ऋणदाताओं के संयुक्त मंच के गठन के बारे में प्रत्येक शुक्रवार अथवा शुक्रवार को छुट्टी होने पर अगले कार्य दिवस को कामकाज बंद होने पर रिपोर्ट करने की अनुमति होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋण से सम्बन्धित आंकड़ों को संग्रहीत करने, भण्डारित करने और उन्हें उन ऋणदाताओं को प्रसारित करने हेतु बड़े ऋणों के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय सूचना भण्डार (CRILC) का गठन किया था जो उसके बाद 50 मिलियन रुपये और उससे अधिक के समग्र निधि-आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर वाले सभी उधारकर्ताओं के सम्बन्ध में किसी खाते के विशेष उल्लेख वाले खाते के रूप में वर्गीकरण सहित उनके पास मौजूद ऐसी सभी सूचनाओं को रिपोर्ट करेंगे। नये विनियमों में फसल ऋणों को इस प्रकार की रिपोर्टिंग से छूट प्रदान की गई है । बैंकों के लिए नाबार्ड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), भारतीय निर्यात-आयात (EXIM) बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रति उनके अंतर-बैंक एक्सपोजर सहित बड़े ऋणों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सूचना भण्डार (CRILC) को रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

मुद्रा बाज़ार की अस्थिरता

भारतीय रिज़र्व बैंक भारत के अस्थिर मुद्रा बाज़ारों को नियंत्रित करने में सफल हो गया है। भारत में मुद्रा बाज़ार महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बैंक अपेक्षाकृत लम्बी अवधि वाले उधारों का वित्तीयन करने हेतु एक दिवसीय निधीयन पर निर्भर करते हैं। इस निर्भरता से बाज़ार प्राय: अस्थिर हो जाते हैं। डॉ. राजन के हाल के दिनों में एक दिवसीय नकदी दर को जकड़ रखने वाले स्थिरता के कारणों का पता लगाने का वचन दिए जाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिक आवृत्ति में अल्पावधिक नकदी निषेचन सहित ऐसे परिवर्तन किए हैं, जो बैंक चाहते थे।

चलनिधि सहज होने के कारण थोक जमा दरों में गिरावट

बैंकों ने चलनिधि की स्थिति सहज होने की पृष्ठभूमि में अल्पावधिक कारपोरेट थोक जमा दरों को घटाना आर भ कर दिया है। इससे समग्र दर परिवेश में गिरावट की प्रवृत्ति का संकेत प्राप्त होता है, यद्यपि खुदरा जमा से सम्बन्धित दरों में किसी महत्वपूर्ण संशोधन का होना अभी शेष है। तथापि, सितम्बर में खुदरा मुद्रास्फीति के घट कर 6.46% पर आ जाने (2012 में जब से सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करना आरंभ किया तब से कमतर) के परिणामस्वरूप बैंक भी इसे खुदरा जमा दरों में कमी लाने के अवसर के रूप में देखने लगे हैं।

बैंकों के अतिरिक्त बॉण्डों के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपक्वता तक धारित श्रेणी में कटौती करने की अपनी रूपरेखा का पालन करने हेतु बैंकों को 2015 में परिपक्वता तक धारित (HTM) समूह में उनकी अतिरिक्त बॉण्ड धारिता को तीन गुनी और व्यापार पोर्टफोलियो में स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। आम तौर पर बैंकों को यह स्थानांतरण वर्ष में केवल एक बार अप्रैल में करने की अनुमति दी जाती है। तथापि, अब ये स्थानांतरण अगले वर्ष जनवरी, जुलाई और सितम्बर में किए जा सकते हैं और यह प्रतिभूतियों को किसी वर्ष में बेचने या उन्हें प रिपक्वता तक धारित श्रेणी में स्थानांतरित करने हेतु निर्धारित 5% की सीमा से अलग होगा।

2री तिमाही में कारबार की संभावना, उपभोक्ता के विश्वास में सुधार

वर्तमान वित्त वर्ष की 2री तिमाही के दौरान देश में कारबार की संभावना, उपभोक्ता के विश्वास में एक वर्ष पहले की अवधि की तुलना में सुधार आया है। हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जुलाई - सितम्बर, 2014 के लिए जारी औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण के अनुसार वित्त एवं निर्यात के मोर्चे पर आशावाद में कमी मौजूद है। उक्त सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ उत्पादन, आदेश बहियों, क्षमता के उपयोग और रोज़गार में प्र तिशत की दृष्टि से 100 आधार अंकों से लेकर 300 आधार अंकों तक का बढ़ा हुआ आशावाद प्रदर्शित होता है । उदाहरण के लिए बिक्री मूल्य की प्रत्याशाएं 12.5 से बढ़कर 13,5 हो गई हैं, जबकि लाभ मार्जिन से सम्ब न्धित आशावाद (-) 2.3 से 1 के रूप में धनात्मक हो गया। व्यावसायिक प्रत्याशा सूचकांक (BEI) में हुए

उतार-चढ़ावों से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की यथा-अनुमानित कारोबारी संभावना में 2री तिमाही में 106.2 (105.2) की बढ़ोतरी प्रदर्शित हुई। संमिश्र सूचकांक में वृद्धि क्षमता के उपयोग, आयात, उत्पादन तथा कच्चे माल की लागत में अधिक आशावाद के कारण थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25,000 करोड़ रुपये की चलनिधि वापस ली

एक दिवसीय परिवर्ती दर वाली प्रति-पुनर्खरीद नीलामी में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 25.001 करोड़ रुपये की चल निधि वापस ले ली है। उक्त नीलामी की निर्दिष्ट दर 7.96% थी, जबकि भारित औसत दर 7.90% थी। नीलामी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित रकम 25,000 करोड़ रुपये थी।

बैंक ऋण वृद्धि

प्रदान की जा रही आकर्षक ब्याज दरों और कार्रवाई शुल्क माफ किए जाने के बावजूद इस वर्ष के त्योहारों वाले मौसम की शुरुआत में बैंक ऋण पिछले सात वर्षों में सबसे धीमी दर से बढ़े। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार बैंकों द्वारा अगस्त और सितम्बर के तीसरे सप्ताह के बीच वाली अवधि में प्रदत्त ऋणों में वार्षिक आधार पर पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1.08 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले मात्र 17,800 करोड़ रुपये ही बढ़े। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वार्षिक ऋण वृद्धि एक वर्ष पहले की अवधि में हुई 17.6% की वृद्धि की तुलना में घटकर 9.7% के एक अंक वाले स्तर पर पहुंच गई। इस वित्त वर्ष की अब तक की दर एक वर्ष पहले की 6.5% की तुलना में 19 सितम्बर के दिन 2.5% रही।

निर्यात वित्त सीमा में कटौती

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात वित्त पुनर्वित्त (ECR) सुविधा को बैंकों के पात्र निर्यात ऋण के 32% से घटाकर 10 अक्तूबर, 2014 से 15% कर दी है। उसने वित्त वर्ष में ऐसा दूसरी बार किया है: भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून वाली समीक्षा में इसे 50% से घटाया था।

मुद्रास्फीति पर संकेन्द्रण के साथ परिवर्धित ऋण नीति

भारत ऐसे कदम उठा रहा है जिनके परिणामस्वरूप सरकार मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन पर सहमत होने जा रही है, जबकि मौद्रिक नीति का निर्धारण अमेरिका और यू.के. में मौजूद प्रणालियों के अनुरूप एक समिति द्वारा किया जाएगा। इससे वित्तीय क्षेत्र में आमूल परिवर्तनों की शुरुआत का संकेत प्राप्त होगा। वित्त मंत्रालय ने एक ऐसा ढांचा निर्मित करने हेतु एक करार पर भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ विचार-विमर्श आरंभ कर दिया है, जिसकी डॉ. ऊर्जित पटेल समिति और न्यायमूर्ति बी. एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाले वित्तीय क्षेत्र के विधायी सुधार आयोग जैसे उच्च स्तरीय पैनलों के अनुरूप आवश्यकता है। उक्त करार के फलस्वरूप मौद्रिक नीति निर्धाि रत करने हेतु एक ऐसी समिति सृति की ाएगी िसे मुद्रास्फीति लक्ष्य के प्रति साति किया

ाएगा। इस योाना के वर्णक्रम को सार्वानिक किया ाएगा, ताकि किसी समौते को हस्ताक्षरित करने से पहले विाार आमंत्रित किए ा सकें।

नये टियर-1 पूंाी मानदंडों के फलस्वरूप बासेल -III बैंकों के लिए सरल

फिच रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के अतिरिक्त टियर-1 पूंजी की परिपक्वता को घटाकर पांच वर्ष तक कर दिए जाने बाद भारतीय बैंक बासेल-III मानदंडों को पूरा करने हेतु बेहतर स्थिति में आ गए हैं। हालांकि, जहां बैंकों के लिए बासेल-III मानदंडों (जिनका लक्ष्य वित्तीय आघातों का मुकाबला करने की दृष्टि से बैंकिंग प्रणाली को मज़बूत बनाना है) का पालन कर पाना अब भी चुनौतीपूर्ण है, तथापि यह क्षेत्र की 200 बिलियन अमरीकी डालर की बासेल-III की भारी पूंजी आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने में बैंकों की सहायता कर सकता है। बैंकों को उनकी ऋण बही बढ़ाने हेतु पूंजी की जरूरत है, क्योंकि उन्हें स्वयं अपनी पूंजी को उनके द्वारा संवितरित किए जाने वाले प्रत्येक ऋण के लिए अलग रखना है। आर्थिक पुनरुत्थान के परिणामस्वरूप भी पूंजी की आवश्यकता बढ़ जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था में मार्च, 2014 में 4.6% की वृद्धि हुई। फिच को इसके 2015 में 5.5% और 2016 में 6.5% बढ़ने की आशा है।

वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक 1 फरवरी तक नयी मौद्रिक नीति के ढांचे को प्रकट करेंगे

वित्त मंत्रालय ने 'नये मौद्रिक नीति ढांचे से सम्बन्धित करार' की औपचारिकताएं 1 फरवरी, 2015 तक पूरी करने का ध्येय नियत कर रखा है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन की तिथि भारतीय रिज़र्व बैंक पर छोड़ दी गई है। प्रस्तावित ढांचे, जो मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन पर संकेन्द्रित होगा, का लक्ष्य मौद्रिक नीति निर्धारण को भी बदलना है। पारंपरिक रूप से, मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक में एक गोपनीय मामला होता है। किन्तु नयी प्रणाली के फलस्वरूप एक आठ सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति अब नीति निर्धारण का कार्य करेगी और उसके बाद शीर्ष बैंक उसे कार्यान्वित करेगा।

पुनर्संरचना अपमार्ग को अप्रैल, 2016 तक विस्तारित करें

बैंकरों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पुनर्संरचना से सम्बन्धित धैर्य (forbearance) को एक और वर्ष तक जारी रखने का अनुरोध किया है। वर्तमान स्थिति में यह धैर्य (परहेज) 1 अप्रैल, 2015 को समाप्त हो जाने वाला है। भारतीय रिज़र्व बैंक के इस समय-सीमा पर टिके रहने पर बैंकिंग प्रणाली की सकल अनर्जक आस्तियां इस वर्ष मार्च में 4% से बढ़कर 10% हो जाएंगी। वर्तमान में बैंकों को अवमानक आस्तियों के लिए 15% की तुलना में मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के लिए 5% - (ब्याज या मूलधन के 90 दिन से अधिक समय से देय होने पर अनर्जक आस्तियों के प्रथम स्तर) का कमतर प्रावधानीकारण करना होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह अनिवार्य कर दिया है कि अप्रैल, 2015 के बाद बैंकों को सभी पुनर्संरचित मानक अग्रिमों को अनर्जक आस्ति मानना चाहिए और तदनुसार प्रावधान करना चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक ऋण बाज़ारों में फर्मों के व्यापार पर निगरानी रखेगा

कम्पनियों द्वारा ऋण बाज़ार के व्यापार में उछाल से वित्तीय बाज़ार की स्थिरता प्रभावित हो सकती है इस बात को लेकर चिंतित भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पर्यवेक्षण दल को उनके क्रय-विक्रय पर निगरानी रखने का आदेश दिया है। उक्त मुहिम भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से उन कम्पनियों के बारे में सर्वाधिक सुदृढ़ चिंता की अभिव्यक्ति है, जो ऋण एवं मुद्रा बाज़ारों में भारी क्रय-विक्रय की स्थिति का जमावड़ा कर रही हैं। इस प्रकार का क्रय-विक्रय कारपोरेट कोषपालों के लिए पारंपरिक व्यवसाय से लाभों एवं राजस्व का एक आकर्षक अतिरक्त स्रोत हो सकता है। किन्तु यह कम्पनियों और वृहत् बाज़ारों को मूल्य अस्थिरता के प्रति अनारक्षित (expose) कर देता है तथा इसमें उन बाज़ारों में कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले क्रय-विक्रय का पर्यवेक्षण कौन करता है इस सम्बन्ध में एक विनियामक अस्पष्टता भी रहती है। इसमें एक चौकसी दल भी होता है जो बैंकों और कम्पनियों के बीच हुए सौदों पर निगरानी रखता है। बैंकिंग पक्ष से आंकड़े प्राप्त करना आसान होता है,
क्योंकि उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक का नियंत्रण रहता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की पुर्संरचना का कार्य अक्तूबर के अंत तक पूरा

भारतीय रिज़र्व बैंक की संगठनात्मक पुनर्संरचना का कार्य अक्तूबर के अंत तक पूरा हो गया है, केन्द्रीय कार्यालय में विभागों की संख्या 29 से बढ़कर 36 हो गई है। इस कार्य के एक अंग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन विभागोंयथा- 'बैंकिंग परिचालन ओर विकास विभाग' को 'बैंकिंग विनियमन विभाग; 'ग्राहक सेवा विभाग' को 'ग्राहक शिक्षा और संरक्षण विभाग' तथा 'ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग' को 'वित्तीय समावेशन और विकास विभाग' के रूप में पुनर्नामित किया है।

बैंकों ने वाणिज्यिक पत्रों में निधियां लगाईं

ऐसे समय में जब वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से उधार लेने में वर्षानुवर्ष 35% की वृद्धि हुई है, बैंक भी उनके पास मौजूद प्रचुर चलनिधि (नकदी) तथा निराशापूर्ण ऋण-वृद्धि की स्थिति का सामना करते हुए इन लि खतों को आक्रामक रूप से खरीद रहे हैं। 19 सितम्बर, 2014 के दिन बैंकों ने वाणिज्यिक पत्रों में 2,887 करोड़ रुपये का निवेश कर रखा था- जो एक वर्ष पहले के स्तर से 240% की जोरदार वृद्धि दर्शाता है। जब कि बैंकों के ऋण उठाव की तुलना में इससे महज गिरावट परिलक्षित होती है, ऋण संवितरण में मंदी और उसके फलस्वरूप निर्मित चलनिधि बैंकों को प्रतिफल हेतु प्रयास करने पर विवश कर रही है।

खाद्येतर ऋण वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार खाद्येतर ऋण वृद्धि एक सप्ताह में 10% से कम रही। 19 सितम्बर, 2014 को समाप्त 14 दिन की अवधि हेतु खाद्येतर ऋण वृद्धि वर्षानुवर्ष 9.78% घटकर 60,41, 455 करोड़ रुपये के स्तर पर आ गई। 5 सितम्बर, 2014 को समाप्त पखवाड़े में ऋण वृद्धि घटकर एक दशक के न्यून स्तर पर आ गई।

अपने ग्राहक को जानिए मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अपने ग्राहक को जानिए (KYC) सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा न किए जाने पर किसी ग्राहक के खाते पर आंशिक रूप से रोक लगाने की अनुमति दे दी है। बैंकों के लिए ग्राहक को तीन माह का नोटिस देना और उसके बाद अगले तीन माह तक अनुस्मारक भेजना आवश्यक होगा। उसके बाद, वे उक्त खाते से सभी जमा एवं नामे लेनदेनों पर रोक लगा सकते हैं तथा यहां तक कि खाते को बंद भी कर सकते हैं। खाता धारक अपने ग्राहक को जानिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के बाद खाते को पुनरुज्जीवित कर सकता है।

कारपोरेट दिवालियेपन के विधिक ढांचे का अध्ययन करने हेतु समिति

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की इस घोषणा के अनुसरण में कि लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को एक आसान निर्गम मार्ग उपलब्ध कराने के लिए एक उद्यमी-अनुकूल विधि दिवालियापन ढांचा तैयार किया जाएगा, वित्त मंत्रालय (FM) ने देश में कारपोरेट दिवालियेपन के विधिक ढांचे का अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया है। श्री टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति फरवरी, 2015 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह समिति दिवालियेपन से सम्बन्धित मुद्दों के स्वरग्राम तथा वित्तीय मज़बूरी (distress) का अध्ययन करेगी और हित / जोखिम धारकों के हितों के संरक्षण की जांच करेगी।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार मार्ग के बड़े पैमाने पर न खोले जाने की संभावना

कम्पनियों के बढ़ते अप्रतिरक्षित (unhedged) विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों के बारे में चिंतित भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय कम्पनियों को बाह्य वाणिज्यिक उधार बाज़ार में मुक्त प्रवेश की अनुमति देने का इच्छुक नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान ने कहा कि "हमनें मूलभूत संरचना के लिए पहले ही भलीभांति मुक्त अनुमति दे रखी है। स्वत: मार्ग भी बढ़ा दिया गया है। हम पूर्णत: मुक्त नहीं कर सकते।" 2013 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने कम्पनियों को विदेशों से ऋण उधार लेने में समर्थ बनाने हेतु ब्याज दर से सम्बन्धित सीमा को बढ़ाकर तथा स्वत: मार्ग के माध्यम से अधिक उधारों की अनुमति देकर विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करके कई एक छूटें प्रदान की हैं। सितम्बर में उसने विदेशी ऋणदाताओं को विदेशों में स्थित भारतीय कम्पनियों को रुपये में मूल्यवर्गित ऋण जारी करने की अनुमति प्रदान की थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के यूरोक्लियर में निपटान की दिशा में प्रयासरत

उप गवर्नर श्री एच.आर. खान ने कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के विश्व की सबसे बड़ी प्रतिभूति निपटान प्रणाली- यूरोक्लियर प्रणाली में निपटान की अनुमति देने की तैयारी कर रहा है। "हम स्थानीय बाज़ार में चलनिधि के अभाव तथा विदेशी निवेशकों को लेन-देन की सहूलियत प्रदान करने के बीच संतुलन लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय यह सुविधा केवल श्रेष्ठ प्रतिभूतियों (Gilts) के लिए उपलब्ध है ।" इस मुहिम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के बीच भारतीय बॉण्डों की स्वीकार्यता बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी, यद्यपि कदाचित भारतीय रिज़र्व बैंक को इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अंतत: विदेशी संस्थागत निवेशक सीमाओं को समाप्त करना पड़े। भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई में सरकारी बॉण्डों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की 20 बिलियन अमरीकी डालर की मौजूदा सीमा के समाप्त हो जाने के बाद उप-सीमा में 5 बिलियन अमरीकी डालर की वॅद्धि की थी। समग्र सीमा को 30 बिलियन अमरीकी डालर पर अपरिवर्तित रखा गया था।

विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों का प्रतिरक्षण

तुलनात्मक रूप से स्थिर रुपया कम्पनियों को उनके विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों को प्रतिरक्षित न करने हेतु प्रवृत्त कर रहा होगा, किन्तु भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाए जाने से सहजता की अनुभूति नहीं होती। संकुचित होते प्रतिरक्षण अनुपात का उदाहरण देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच. आर. खान ने भारतीय व्यावसायिक कम्पनियों को उनकी विदेशों से उधार ली हुई राशियों को अप्रतिरक्षित ड़ोड़ने के विरुद्ध सलाह दी है। वे यह भी सलाह देते हैं कि वित्तपोषक बैंकों को उनके ऋण मूल्यांकन ढांचे में अप्रतिर क्षित एक्सपोजर के जोखिम को भी शामिल करना चाहिए। विदेशी वाणिज्यिक उधारों अथवा विदेशी मुद्रा में प रिवर्तनीय बॉण्डों का प्रतिरक्षण अनुपात अप्रैल - अगस्त की अवधि के दौरान 24% और 2013-14 में लगभग 34% से घट कर 15% के न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया।

मूलभूत सुविधा परियोजनाओं का निधीयन करने हेतु बैंकों के अलावा अन्य स्त्रोतों की तलाश आवश्यक

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी ने विचार व्यक्त किया है कि "देश में मूलभूत सुविधा परि योजनाओं का निधीयन करने हेतु बैंक वित्त के अलावा अन्य स्त्रोतों की तलाश किए जाने की आवश्यकता है। मूलभूत सुविधा और स्थावर संपदा क्षेत्र के प्रति बैंकों का एक्सपोजर वर्तमान स्तरों से बहुत अधिक नहीं बढ़ सकता। एक विवेकसंगत उपाय के रूप में बैंकों को मूलभूत सुविधा और स्थावर संपदा क्षेत्र को उनके कुल ऋणों के 1/4 से अधिक उधार देने की अनुमति नहीं है।" अनुमान है कि मूलभूत सुविधा खण्ड को वर्तमान पंच-वर्षीय योजना (2017 में समाप्त होने वाली) में अच्छी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने हेतु 1 ट्रिलियन अमरीकी डालर के संचयी निवेश की आवश्यकता होगी।

आर्थिक वृद्धि गति पकड़ रही है

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि वर्तमान में भारत की आर्थिक वृद्धि में उभार प रलक्षित हो रहा है, किन्तु इसे उपयुक्त आधार पर सहारा देने हेतु और अधिक किया जा सकता है। चालू

खाते के घाटे (CAD) में गिरावट आई है तथा औद्योगिक वृद्धि में कुछ सुधार दिखाई देता है। निम्नतम आधार यह है कि मुद्रास्फीति में कमी आने के कारण वृद्धि में उभार आता लगता है। हम इस वर्ष 5.5% की वृद्धि की आशा करते हैं, जो आगे चल़कर 6% से कुछ अधिक हो सकती है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ऋण की सीमा परिमित विधि से बढ़ाई जाएगी

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने कहा है कि "सरकारी ऋण में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों (FPIs) से सम्बन्धित सीमा स्थिर एवं परिमित रीति से बढ़ाई जाएगी। यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है और यह देखने के लिए कि इन सीमाओं के बढ़ाए जाने से बाज़ार का विकास हो, हम सीमाओं में एक स्थिर, परिमित वृद्धि चाहते हैं। बाज़ार के विकास के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं।" (अधिक विवरण के लिए www.rbi.org.in देखें)

अर्थव्यवस्था

विश्व बैंक द्वारा सुधारों हेतु दबाव

विश्व बैंक ने 2014 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में जून में लगाए गए अपने 5.5% के अनुमानों को मामूली तौर पर बढ़ाकर 5.6% कर दिया है। हालांकि उसने सरकार को उसकी संभाव्य वृद्धि प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय माल और सेवा कर (GST) तथा विवेकसंगत स्थूल-आर्थिक प्रबन्धन को कार्यान्वित करने की सलाह दी है। यहां तक कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में लगने वाले समय में कमी लाने से भी भारत में स्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिल सकता है।

अप्रैल-अगस्त का राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य के 75% पर

केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा केवल पहले पांच महीनों में ही 2014-15 के पूरे वित्त वर्ष के बजट अनुमानों (BE) के 74.9% तक पहुंच गया। व्यय और प्राप्ति के बीच अंतर 2014-15 के बजट में निर्धारित 5.31 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 1 अप्रैल-31 अगस्त की अवधि में 3.98 लाख करोड़ रुपये हो गया था। यह घाटा पिछले वर्ष के इस समय तक 74.6% था तथा सरकार इसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.8% के बजट अनुमानों के समक्ष 4.5% से अनधिक के स्तर पर रोकने में कामयाब हो गई थी।

बीमा

इर्डा समूह स्वास्थ्य मूल्य-निर्धारण पर पकड़ कठोर बना सकता है

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के सदस्य (सामान्य बीमा) श्री एम. रामप्रसाद ने कहा है कि विनियामक स्वास्थ्य खंड के उस समूह -स्वास्थ्य अंतराल का पुनरीक्षण कर सकता है,; जिसमें 55% का समावेश है; शेष भाग खुदरा स्वास्थ्य वाला है। व्यवसाय के खुदरा पक्ष की तुलना में समूह स्वास्थ्य में दावे काफी अधिक हुआ करते हैं। अधिक दावे - एक समय पर 100% चिंता के विषय हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अनुचित प्रतिस्पर्धा समूह स्वास्थ्य अंतराल को क्षीण कर रही है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) इस मामले पर ध्यान दे रहा है तथा वह उन बीमा कम्पनियों के लिए उच्चतर पूंजी आवश्यकताएं या शोधक्षमता दरें निर्धारित करने पर वचार करेगा जो अव्यवहार्य कीमतें उद्धृत करती हैं।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 1.42 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट

26 सितम्बर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 1.42 बिलियन अमरीकी डालर घट कर 314.18 बिलियन अमरीकी डालर रह गई। मुद्रा व्यापारियों के अनुसार यह गिरावट आवश्यक रूप से विदेशी मुद्रा बाज़ार में भारतीय रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप के कारण नहीं, अपितु मुद्राओं के पुनर्मूल्यन के कारण थी।

नवंबर, 2014 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.33600	0.715	1.139	1.483	1.760
जीबीपी	0.71070	1.1060.	1.3858	1.6137	1.7911
यूरो	0.21300	0.244	0.288	0.363	0.465
जापानी येन	0.17000	0.163	0.171	0.198	0.240
कनाडाई डालर	1.46000	1.458	1.631	1.808	1.970
आस्ट्रेलियाई डालर	2.72300	2.768	2.855	3.075	3.170
स्विस फ्रैंक	0.06750	0.020	0.069	0.139	0.214
डैनिश क्रोन	0.48500	0.5240	0.5743	0.6670	0.7730
न्यूजीलैंड डालर	3.77000	3.908	4.028	4.120	4.170
स्वीडिश क्रोन	0.28700	0.350	0.460	0.620	0.77
सिंगापुर डालर	0.40000	0.710	1.100	1.438	1.675

हांगकांग डालर	0.48000	0.800	1.180	1.510	1.750
एमवाईआर	3.76000	3.775	3.830	3.980	3.920

स्रोत : www.fedai.org.in

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**24 अक्तूबर, 2014 के दिन**	**24 अक्तूबर, 2014 के दिन**
	बिलियन रुपये	**मिलियन अमरीकी डालर**
	1	**2**
कुल प्रारक्षित निधियां	19, 282.9	314, 177..9
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	17, 692.7	2 88.,332.0
ख) सोना	1, 233.1	20 ,013.4
ग) विशेष आहरण अधिकार	262.7	4, 289. 8
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	94.4	1 ,542.7

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
भारतीय रिज़र्व बैंक	सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या	सूचना के आदान-प्रदान और पर्यवेक्षी सहयोग हेतु।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)	भ्मैसर्स आट्र्स वाटरमै टिक्स प्रा. लिमि.	प्रतिष्ठित चीनी मिलों के साथ व्यवस्था के तहत ड्रिप सिंचाई उपकरणों के लिए गन्ना उत्पादकों का वित्तीयन करने हेतु।
बैंक ऑफ इंडिया	मारुती सुजुकी इंडिया ि लमिटेड	चैनल वित्त सुविधा प्रदान करने हेतु, मारुती सुजुकी व्यापा रियों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने हेतु एक नवोन्मेषी विकल्प, जिससे उन्हें उनकी कार्यशील पूंजी से सम्बन्धित आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता प्राप्त होगी।
केनरा बैंक	ओरिगो कमोडिटीज	गोदाम रसीद वित्तीयन के साथ किसानों की सहायता करने हेतु।

कर्नाटका बैंक लिमिटेड	टीवीएस मोटर्स	कम्पनी के प्राधिकृत वयापारियों को चैनल वित्त सुविधा प्रदान करने हेतु।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
डॉ. एम.डी. पात्रा	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री के.के. वोहरा	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री जी. महालिंगम	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री हेमंत जी. कन्ट्रैक्टर	अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA)
श्री सुशोबन सरकार	निदेशक, राष्ट्रीय बीमा अकदमी

बासेल-III - पूंजी विनियमन (जारी)

बासेल- III पर चर्चा को जारी रखते हुए निम्नलिखित को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है :

पर्यवेक्षी पुनरीक्षण और मूल्यांकन प्रक्रिया (SREP)- स्तंभ 2

पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य निम्नलिखित है :

क. यह सुनिश्चित करना कि बैंकों के पास उनके कारबार में निहित सभी जोखिमों को संभालने हेतु पर्याप्त पूंजी हो; और

ख. उन्हें उनके जोखिमों पर निगरानी रखने और उन्हें नियंत्रित करने हेतु बेहतर जोखिम प्रबन्धन तकनीकें विकसित एवं प्रयुक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

इसके लिए बैंकों के भीतर एक ऐसी सुनिर्धारित आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया की आवश्यकता होगी , जिसके लिए वे भारतीय रिज़र्व बैंक को यह आश्वासन देते हैं कि जिनके प्रति वे अनारक्षित हैं उन विविध जोखिमों के लिए पर्याप्त पूंजी वास्तविक रूप में रखी गई है । आश्वासन की इस प्रक्रिया में बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच सक्रिय संवाद भी शामिल है, ताकि जब आवश्यक हो, बैंक के जोखिम एक्सपोजर को घटाने के लिए या उसकी पूंजी आवर्धित करने / बनाए रखने हेतु उपयुक्त हस्तक्षेप किया जा सके। इसप्रकार, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक होती है।

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (ICAAP) / पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया (SRP) के तहत निराकरणीय मुख्य पहलुओं में निम्नलिखित का समावेश होगा :

क) वे जोखिम जिनका स्तंभ 1 के अधीन निर्धारित न्यूनतम पूंजी अनुपात द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता ।

ख) वे जोखिम जिनका स्तंभ 1 द्वारा कतई ध्यान नहीं रखा जाता।
ग) बैंक के बाहर वाले कारकों
स्तंभ 1 के तहत निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात केवल न्यूनतम है और यह केवल तीन जोखिमों, यथा- ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिमों का ही निराकरण करता है। स्तंभ 1 के तहत जोखिमों के संभाव्य

न्यून अनुमान और किसी बैंक की जोखिम प्रबन्धन संरचना की गुणवत्ता की तुलना में उसके वास्तविक जोखिम एक्सपोजर का ध्यान रखने के लिए बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी रखना आवश्यक हो सकता है। अतएव बैंकों को स्तंभ 1 के तहत विनियामक पूंजी आवश्यकता की बैंक की गणना के अतिरिक्त उनके आकार, जटिलता के स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा परिचालन के विषय क्षत्र के अनुरूप एवं उनके निदेशक मंडलों के अनुमोदन के साथ आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया विकसित करने और उसे लागू करने की सलाह दी गई थी। आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया विदेशी बैंकों द्वारा मार्च, 2008 से और भारतीय बैंकों द्वारा मार्च, 2009 से परिचालन में लाई गई थी।
पारस्परिक रूप से पुनर्बलित करने वाले इन तीनों स्तंभों, यथा- स्तंभ 1, स्तंभ 2 और स्तंभ 3 के आधार पर बासेल समिति पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत निम्नानुसार चार मुख्य सिद्धांत निर्धारित करती है :
क) बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी जोखिम प्रोफाइल तथा उनके पूंजी स्तरों को बनाए रखने की रणनीति के अनुपात में अपनी समग्र पूंजी पर्याप्तता का निर्धारण करने की प्रक्रिया लागू करें।
ख) बैंक के आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारणों और रणनीतियों तथा उनके साथ ही निगरानी रखने और पर्यवेक्षकों द्वारा निर्धारित विनियामक पूंजी अनुपातों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उनके सामर्थ्य का मूल्यांकन।
ग) पर्यवेक्षकों को बैंकों से न्यूनतम विनियामक पूंजी अनुपातों से अधिक स्तर पर परिचालन करने की अपेक्षा रखनी चाहिए तथा उनमें बैंकों से न्यूनतम स्तर से अधिक पूंजी रखवाने का सामर्थ्य होना चाहिए।
घ) पर्यवेक्षकों को किसी विशिष्ट बैंक की जोखिम विशिष्टताओं को सहारा देने के लिए पूंजी को आवश्यक न्यूनतम स्तरों से कम होने से रोकने हेतु समय-पूर्व स्तर पर हस्तक्षेप करना चाहिए तथा पूंजी न बनाए रखी जाने या बहाल न किए जाने पर द्रुत उपचारात्मक उपाय करवाना चाहिए।
सिद्धांत क और ग पर्यवेक्षी अपेक्षाओं से सम्बन्धित हैं, जबिक अन्य अर्थात् ख और घ स्तंभ 2 के तहत पर्यवेक्षकों की भूमिका से सम्बन्धित हैं। स्तंभ 2 पर्यवेक्षी प्राधिकारियों से यह भी अपेक्षा करता है कि वे पर्यवेक्षी पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के रूप में ज्ञात एक मूल्याकन प्रक्रिया लागू करें तथा यथा-आवश्यक पर्यवेक्षी उपाय आरंभ करें।
आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया को प्रबन्धन तथा बैंक की निर्णयन संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया का कार्यान्वयन समानुपातिकता के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होना चाहिए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक जोखिम प्रबन्धन के सम्बन्ध में आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया में उत्कृष्टता के उस स्तर की अपेक्षा करता है जो बैंक के व्यावसायिक पि रचालनों में जटिलता के स्वरूप, विषय क्षेत्र, प्रमाप एवं उसके स्तर के अनुरूप होनी चाहिए।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड

15

निवेशक को उक्त बॉण्ड को एक निर्धारित परिवर्तन मूल्य पर अथवा पूर्व-निर्धारित मूल्य-निर्धारण सूत्र (formula) के अनुसार इक्विटी में परिवर्तित करने का विकल्प प्रदान करने वाला विदेशों में विदेशी मुद्रा में जारी एक बॉण्ड।

व्यापार बही

व्यापार बही में निवेश कीमतों / प्रतिफलों में अल्प अवधि वाले अंतरों पर लाभ सृजित करने हेतु रखे जाते हैं। व्यापार बही में व्यापार के लिए धारित (HFT) और बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS) श्रेणी का समावेश होता है।

शब्दावली

अल्पाधिकार (oligopoly)

अल्पाधिकार किसी बाज़ार का एक ऐसा रूप होता है जिसमें किसी बाज़ार या उद्योग पर एक छोटी संख्या में विक्रेताओं (oligopolists) का प्रभुत्व होता है। अल्पाधिकारों की परिणति विभिन्न रूपों वाली ऐसी दुस्संधिं (collusion) से हो सकती है जो प्रतिस्पर्धा में कमी ला देती हैं तथा जिनका परिणाम उपभोक्ताओं के लिए अधिक कीमतों के रूप में सामने आता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

नवम्बर, 2014 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	10 से 14 नवम्बर तक
2	लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तीयन पर 8वां कार्यक्रम	17 से 21 नवम्बर तक
3	विपणन एवं ग्राहक देखरेख पर 7वां कार्यक्रम	17 से 21 नवम्बर तक
4	वसूली प्रबन्धन पर 1ला कार्यक्रम	24 से 26 नवम्बर तक

संस्थान समाचार

सूक्ष्म / स्थूल अनुसंधान

16

संस्थान द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए स्थूल अनुसंधान के प्रस्ताव तथा सूक्ष्म अनुसंधान के प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज़ रिसर्च फेलोशिप (DJCHBBORF) -2014-15

संस्थान हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज़ रिसर्च फेलोशिप (DJCHBBORF) -2014-15 के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए कक्षा में शिक्षण पूरा करने की समय-सीमा

निम्नलिखित उन्नत मिश्रित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए कक्षा में शिक्षण पूरा किए जाने की समय-सीमा :

1) प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक
2) प्रमाणित बैंकिंग अनुपालन व्यावसायिक
3) प्रमाणित ऋण (क्रेडिट) अधिकारी
प्रमाणित खज़ाना व्यापारी

कक्षा में शिक्षण उन परिणामों की घोषणा की तिथि से 15 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाना आवश्यक है, जिनमें अभ्यर्थी ने निम्नलिखित उन्नत मिश्रित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी / उत्तीर्ण कर ली हो।

किसी अभ्यर्थी के निर्धारित कक्षा में शिक्षण विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा करने में असफल हो जाने की स्थिति में उक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने के उद्देश्य से उस अभ्यर्थी से यह अपेक्षित है कि वह पुर्ववर्ती ऑनलाइन परीक्षाओं में उत्तीर्ण विषय/यों के लिए श्रेय को पूर्ववर्ती रूप देते हुए ऑनलाइन परीक्षा के लिए स्वयं को पुनर्नामांकित कराए।

जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के लिए ई-शिक्षण, वीडियो व्याख्यान एवं छद्म परीक्षा

जेएआईईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा तथा सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए नामांकित सभी अभ्यर्थियों को ई-शिक्षण एवं वीडियो व्याख्यान मुफ्त प्रदान किए जाते हैं।

छद्म परीक्षा

जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा तथा सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को छद्म परीक्षा की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा तथा सीएआईआईबी के लिए संपर्क कक्षाएं

संस्थान ने जेएआईआईबी / बैंकिंग एवं वित्त में डिप्लोमा तथा सीएआईआईबी के लिए संपर्क कक्षाओं की घोषणा की है। संपर्क कक्षाओं के लिए अंचल-वार कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

दिशानिर्देशों की अंतिम तिथि

अभ्यर्थियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि संस्थान द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर और मई / जून महीनों के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से सम्बन्धित प्रश्नपत्रों में समावेश के उद्देश्य से केवल विनियामक (कों) द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों तथा उस वर्ष के क्रमश: 31 जुलाई / 31 जनवरी तक बैंकिंग एवं वित्त से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत *
डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -295/ 2013-15
* प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित- प्रेषण तिथि पत्येक माह की 25वीं से 30वीं तक - मुंबई पत्रिका चैनल कार्यालय, मुंबई में प्रेषित - डब्ल्यूवीपी लाइसेंस सं. एमआर/टेक/डब्ल्यूपीपी -62 एनई/2013-15 - पूर्व-भुगतान के बिना प्रेषण। लाइसेंस

ई-मेल के जरिये आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने उसके पास पंजीकृत सभी ई-मेल पतों पर आईआईबीएफ विजन ई-मेल करना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध

है कि वे उसे संस्थान के पास यथा-शीघ्र पंजीकृत करवा लें। आईआईबीएफ विजन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की वेबसाइट पर डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें।

बाज़ार की खबरें
भारित औसत मांग दरें

9.00
8.50
8.00
7.50
7.00
6.00
5.50
5.00

01/10/14 04/10/14 09/10/14 11/10/14 13/10/14 14/10/14 16/10/14 18/10/14
22/10/14 25/10/14 28/10/14 30/10/14 31/10/14

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अक्तूबर, 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

105.00
100.00
95.00
90.00
85.00
80.00
75.00

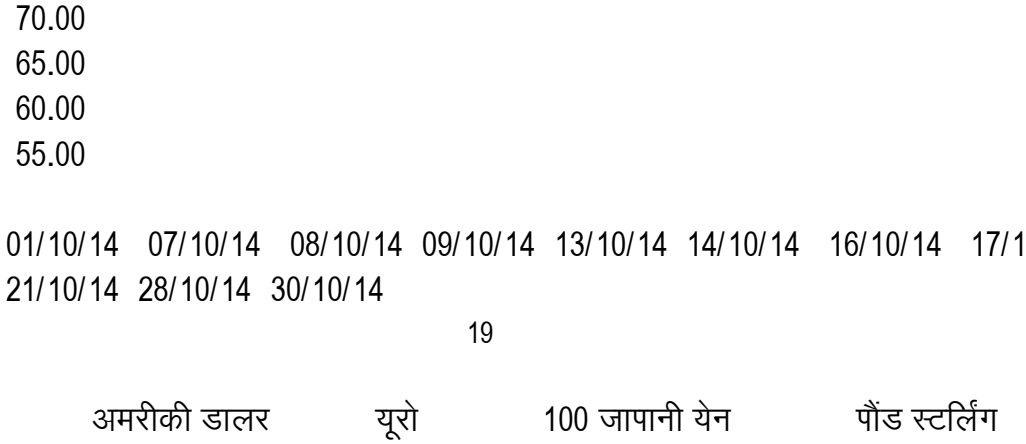

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

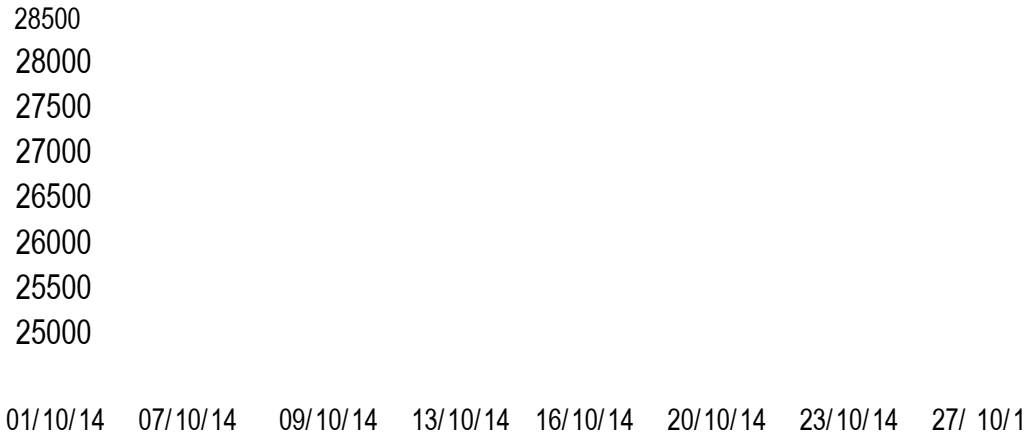

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री 1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)

मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

आईआईबीएफ विज़न नवम्बर, 2014